

-: ओदश :-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के माध्यम से जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 07.09.09 से 19.09.09 तक Induction/Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान
1	डा० सतीश कुमार मित्तल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बंधबारेठा (भरतपुर)
2	डा० विकास खण्डेलवाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लादडिया (नागौर)
3	डा० नन्तकिशोर मीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र खारवा (अजमेर)
4	डा० नवल किशोर मीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र खजूरी (भीलवाडा)
5	डा० रामेश्वर प्रसाद बैरवा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र पण्डेर (भीलवाडा)
6	डा० उषा माहेश्वरी (होलानी)	सामु०स्वा०केन्द्र सुवाना (भीलवाडा)
7	डा० राजकुमार डिडेल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बावरला (नागौर)
8	डा० ओमप्रकाश स्वामी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र श्रीबालाजी (नागौर)
9	डा० विनायक गोड, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बोरावड (नागौर)
10	डा० हनुमान प्रसाद मंगल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लवादर (टोंक)
11	डा० सुरेन्द्र गोयल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बमोर (टोंक)
12	डा० लखपत सिंह मीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र आनवा (टोंक)
13	डा० प्रदीप पचार, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कोलायत (बीकानेर)
14	डा० नितिन शर्मा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कोलायत (बीकानेर)
15	डा० संजय कुमार गिजवानी, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कोलायत (बीकानेर)
16	डा० शेफाली गोयल, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कोलायत (बीकानेर)
17	डा० देवीलाल जोशी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र घानव (चूरु)
18	डा० मोहब्बत अली, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बाय (चूरु)
19	डा० संजय कुमार पालीवाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रामपुर की बेरी (चूरु)
20	डा० मुकेश कुमार बसल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मिरजेवाला (श्रीगंगानगर)
21	डा० नरेश कुमार मिददा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रामसिंहपुर (श्रीगंगानगर)
22	डा० रोहित शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लाखाहकमा (श्रीगंगानगर)
23	डा० सुरेन्द्र कुमार मित्तल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रावला (श्रीगंगानगर)
24	डा० गौरव शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पक्कासारण (हनुमानगढ)
25	डा० राकेश कुमार सुण्डा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र गोलूवाला (हनुमानगढ)
26	डा० नवनीत शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र दीनगढ (हनुमानगढ)
27	डा० सुभाष चन्द, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बिरानी (हनुमानगढ)
28	डा० संजय वर्मा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र शाहबाद (बारा)
29	डा० सुधीर मिश्रा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र शाहबाद (बारा)
30	डा० आलोक गर्ग, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बालसमन्द (नागौर)
31	डा० नितिन जैन, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मण्डावर (झालावाड)
32	डा० मोहम्मद परवेज खान, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र असनावर (झालावाड)
33	डा० आशा मीणा, चि०अ०	स्टेट टी०बी० सोसायटी, मुख्यालय जयपुर।
34	डा० विकास जैन, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र हाडेचा (जालौर)
35	डा० कमलेश नागरवाल, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र खाटूश्यामजी (सीकर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 06.09.09 को सांघ निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायें।

सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6)ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट :- यात्रा भत्ता टेक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 26/8/09

क्रमांक :- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/367

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)/SIHFW/Ind.Trg./2007/2034-37 दिनांक 20.08.09 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 08.09.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित की वेबसाइट पर डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।